69/2017

अपील सूचना अधिकार संख्या 69/2017 अनवानी महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूराम निवासी वार्ड न0 12 गजसिंहपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

08-11-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

मैने अपीलाथी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

> विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम, नियोजन, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के पत्रांक कमांक 1774 दिनांक 24.07.2015 जिसमें कि श्रीमान जी को (एसडीम साहब को) प्रार्थी श्री महेन्द्रकुमार पुत्र बाबूराम धानका वार्ड न0 12, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर शहरी बी.पी.एल.सूची 2003 में नाम जुडवाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्रांक 1774 दिनांक 24.07.2015 पर आपके कार्यालय द्वारा की गई कारवाई का विवरण फोटो कॉपी सहित उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 7654 जो इस कार्यालय में दिनांक 10.10.17 को प्राप्त हुआ है के सलंगन प्राप्त पत्रो का अवलोकन करने से पाया कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने अपने पत्र सं0 3048 दिनांक 09.06.17 के द्वारा द्वारा प्रार्थी का बीपीएल प्रा0 पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गजसिंहपुर जांच के लिए भिजवाया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को पत्र संखया 6962 दिनांक 20.09.17 के द्वारा भिजवाई गई है।

बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपखण्ड अधिकारी के जबाब की प्रति उसे प्राप्त नही हुई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के उक्त प्रतिवेदन पत्रो की प्रतियां इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जाकर परिणाम स्वरूप अपीलार्थी के प्राप्ति के हस्ताक्षर फर्द अहकाम पर लिये गये।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उतर व प्रतिवेदन की प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर